राजस्थान सरकार के डेढ वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा

(पी.एल.मीमरौठ)

राजस्थान में अब भाजपा का शासन है। भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा–पत्र में मुख्य नारा दिया था **" सबका साथ, सबका विकास"** इस नाम पर वोट मांगे ओर जनता ने विकास के नाम पर वसुन्धरा राजे के नेतृत्व वाली सरकार को चुना, लेकिन जनता ने जिस विश्वास के साथ श्रीमती वसुन्धरा राजे के हाथ में प्रदेश की बागडोर सौपी इस से प्रदेश की जनता विशेष रूप से वंचित समुदायों का आशा के अनुसार विकास नही हुआ। यदि हम डेढ साल के अन्दर जो इस सरकार के द्वारा काम हुये है उन पर नजर डाले तो पता चलेगा कि वंचित वर्गो, आदिवासी, दलितों, महिलाओं व घूमन्त समुदाय के लोगो के लिए कोई विशेष कार्य नही हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इन वर्गो की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति में कोई गुणात्मक परिवर्तन नही दिखाई दे रहा है।

घोषणा–पत्र में बहुत सुन्दर और आकर्षक शब्दावली में इन वर्गो के विकास के लिए वायदा किया गया परन्तु घोषणा पत्र के वायदो को धरातल पर अमल करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नही की जा रही है। घोषण पत्र में यह कहा गया है कि दलित , आदिवासी, अति पिछडा वर्ग व अन्य कमजोर वर्गो को सामाजिक न्याय देने के लिए अनेक कार्यक्रम चलायें जायेगें। इनमें सामाजिक समरसता का प्रमुख कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों में प्रमुखता से शिक्षा, आर्थिक विकास और उन्हे गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनायें प्रभावशाली ढंग से चलाई लेकिन जब दलित वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता विकास की बात करते है मंहगाई कम करने की बात करते है तो वसुन्धरा सरकार का तर्क होता है कि कॉग्रेस सरकार ने जो प्रदेश को कर्ज में डुबोया है उसको एक साल में पूरा नही किया जा सकता यह कह कर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है।

घोषणा–पत्र में यह भी कहा गया है कि समाज में व्याप्त छुआछूत को समाप्त किया जायेगा तथा हाथ से मैला ढोना या उठाने की प्रथा को समाप्त किया जायेगा। परन्तु खुद हैकि अभी तक राज्य सरकार ने छुआछूत और उससे जुडी हुई परम्पराओं को समाप्त करने के लिए न तो कोई कार्य योजना बनाई है और ना ही कार्यक्रम चलाया है। इन सब योजनाओ को कारगार ढंग से चलाने के लिए पैसे व संसाधन की जरूरत है और इसके लिए तत्कालीन योजन आयोग व केन्द्र सरकार ने प्रावधान कर रखा है कि हर राज्य में आदिवासी व दलितों की जनसंख्या के आधार पर वार्षिक बजट में पैसा रखा जायें। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के लिए आंवटित

धनराशि का पूर्णतः उपयोग सुनिश्चित किया जाये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के लिए आंवटित धनराशि का किसी गैर अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास कार्यक्रमों पर खर्च नही होने दिया जाये। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में बची हुई राशि को लेप्स न होने देकर उसे अगले वर्षो में उपयोग लेने की व्यवस्था की जाए ताकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के विकास लक्ष्यों को पूरा किया जा सके।

परन्तु यदि हम राज्य सरकार के 2014–15 के बजट के आंकडो को देखे तो राज्य का कुल बजट 56,637.69 लाख का था। जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना बजट 5,253.69 लाख रूपये (9.27 प्रतिशत) रखा गया था। जबकि यह बजट आबादी के हिसाब से 10081.48 (17 प्रतिशत) होना चाहिये था। इसी तरह यदि आप मुख्यमंत्री 2015–16 की बजट स्पीच पर ध्यान देगें तो पता चलेगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजना में कोई राशि नही दर्शायी गई है। अपितु अनुसूचित जाति एवं जनजाति व अन्य पिछडे वर्गो की योजनाओं को मिलाकार एक मुश्त राशि दिखाई गई है।

इस बात से पता चलता है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं के बारे में गम्भीर नही है जिसके कारण से दलित, आदिवासी व महिलाओं का समुचित व समग्र विकास होना सम्भव नही है। इसके साथ ही साथ 2015–16 के बजट में मनरेगा कानून के अन्तर्गत जो कार्य व योजनाऐं चलाई जा रही थी उनको धीमी करके कम कर दिया है। गरीबों के हित के लिए जितनी कल्याणकारी योजनाऐं थी उन्हे या तो बन्द कर दिया गया है या उनमें सुधार लाने और योजनाओं का मूल्यांकन करने के नाम पर गरीब जनता को उनके लाभ से वंचित कर दिया गया। मिसाल के तौर पर मुफ्त दवा योजना, वृद्वा अवस्था पेशन विधवा पेशन योजना आदि।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो वृद्धावस्था पेन्शन, विधवा पेन्शन, जननी सुरक्षा योजना और इन्दिरा आवास, खाद्य वितरण योजना (पीडीएस) को सुधार लाने के नाम पर कम कर दिया है। राजस्थान में दलित छात्रों को प्री–मेट्रिक व पोस्ट–मेट्रिक छात्रवृतियां पिछले कई वर्षो से नही दी जा रही है। सरकार द्वारा संचालित अम्बेडकर छात्रावासों की स्थिति को अगर समाज कल्याण मंत्री व अधिकारी निरीक्षण करे तो पता चलेगा कि वहां का वातावरण व स्थिति में एक दिन भी रहना सम्भव नही है। छात्रावास का वार्डन व अधिकारी दलित छात्रों को हमेशा अपमानित कर हीन भावना भरते रहते है और छात्रों को छात्रावास के मैन्यू के अनुसार सुविधा देने के नाम पर वंचित किया जा रहा है जो सरकारी संसाधन मिलते है उसका मुश्किल से 30 प्रतिशत ही छात्रावास में रहने वाले छात्रों पर खर्च किया जाता है।

भामाशाह कार्ड व आधार कार्ड योजना के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व लाचार लोगो को सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। राज्य सरकार भूमिहीन कृषक मजदूरों की मद्द करने के लिए कोई भी बडी योजना व कार्यक्रम नही चला रही है। जिसके कारण भारी मात्रा में युवक बेरोजगार हो रहे है और उनमें से अधिकतर असामाजिक व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो रहे है। इस कारण से भी समाज में असन्तोष और गरीब–अमीर की खाई बढ़ रही है।

राज्य की मुख्यमंत्री महिला है इसके बावजूद भी महिलाओं की विशेषकर दलित महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान की ज्वलन्त समस्या है। आये दिन महिलाओं व बालिकाओं पर यौन–शोषण व बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे है। पुलिस–प्रशासन की ओर से पीडित महिलाओं को जो राहत व सुरक्षा मिलनी चाहिए वह नही मिल पा रही है।

दलित अधिकार केन्द्र जयपुर द्वारा वर्ष 2014–15 में महिलाओं व दलितों पर होने वाले अत्याचारों की मॉन्टिरिंग के आंकडों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	अत्याचार का प्रकार	जन.	फर.	मार्च	अप्रेल	मई	जून	जूला.	अग.	सित.	अक्टू.	नव.	दिस.	कुल
1.	छुआछूत	5	2	0	2	1	2	–	1	1	–	–	–	14
2	हत्या	1	2	4	2	1	4	–	1	1	1	2	4	23
3	दुष्कर्म	13	9	5	4	2	5	9	8	2	3	4	7	71
4	महिला अत्याचार	11	7	6	10	2	–	3	2	–	1	2	3	47
5	भूमि विवाद	11	13	4	5	2	6	11	22	2	–	3	3	80
6	मारपीट	53	28	36	44	6	6	11	12	6	6	10	9	228
7	बाल हिंसा	2	0	0	1	1	–	–	–	–	–	–	1	5
8	बन्धुवा मजदूर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0
9	सामूहिक हिंसा	6	1	1	–	2	5	3	3	3	6	2	3	35
10	हिरासत हत्या/प्रताडना	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	4
11	दलित दूल्हे को बिन्दोरी से रोकना	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	1	6
12	चुनावी हिंसा	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4
13	आगजनी	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
14	प्रशासनिक लापरवाही	4	2	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	12
15	अन्य	1	0	7	2	1	2	4	4	3	2	2	1	28
16	कुल	**107**	**66**	**64**	**74**	**21**	**32**	**42**	**59**	**21**	**19**	**26**	**32**	**560**

पूरे राज्य में पुलिस नागरिको को सुरक्षा प्रदान करने व अपराधियों को पकडने में पूरी तरह लाचार दिखाई देती है। आये दिन समाचार पत्रों में देखने को मिलता है कि अमुक जगह पर पुलिसकर्मियों की पिटाई की गई और अपराधी भाग गये। इससे पुलिसकर्मियों का मनोबल टूटता है और अपराधी तत्वों का होंसला बढ़ता है। अतः पुलिस बल को और अधिक सक्षम बनाने की आवश्यकता है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की 70 फीसदी आबादी को शुद्ध पेयजल प्राप्त नही हो रहा । अधिकतर गांवो में फ्लोराइड और खारा जल उपलब्ध होता है। सरकारी हैण्डपम्पों में से 80 प्रतिशत खराब पडे हे। गरीब व विशेषरूप से दलित समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं द्वारा जल स्रोत, हैण्डपम्प, टंकी, नल आदि से दलितों को पानी से जाति के आधार पर वंचित किया जा रहा है जिसके कारण से दलितों को जोहडों, तालाबों और अन्य जल स्त्रोतों से जल प्राप्त कर अपनी प्यास बुझाते है जिसके कारण दलित पीलिया, हैजा, मलेरिया आदि जल जनित गम्भीर

बीमारियों के शिकार होते जा रहे है। सरकार का यह पहला दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है तो यह मानवाधिकार का सबसे बडा उल्लंघन है।

राजस्थान राज्य सामन्ती प्रदेश होने के कारण यहां पर लैण्ड सीलींग (हदबन्दी) एक्ट पूरी तरह लागू नही किया गया है। इस कारण से बडे–2 जागीरदारों, राजाओं और भूमाफियां के कब्जे में लाखों बीघा कृषि योग्य भूमि नाजायज और गैर कानूनी रूप से उनके कब्जे में है। मध्यम वर्गीय व छोटे किसानों की भूमि सम्बन्धित विवाद तुरन्त और कारगर ढंग से हल करने के लिए स्थानीय राजस्व अधिकारी ईमानदारी से काम नही करते है। इसी तरह भू–दान व ग्राम–दान के नाम से भी हजारों एकड़ भूमि दबंगो और भूमाफिया के कब्जे में है। जिन पर न तो सरकार का अंकुश है और ना ही राजस्व कानून लागू होते है। राज्य सरकार अभी तक इस दिशा में कोई कठोर कार्यवाही करने का मन नही बनाया है। प्रदेश में दलित कृषि व आबादी भूमि बहुत कम है जिसके कारण दलितों ने गांव की सिवाईचक, गौचर भूमि पर आवास बना कर पीढियों से रह रहे है सरकार इन दलितों को बेदखल कर आवासीय योजनाओं का विकास कर रही है जो की राजस्थान की राजधानी जयपुर में रामचन्द्र विहार, एस विहार, अवन्तिका विहार आदि योजना क्षेत्र में पीढियों से पुख्ता आवास बना कर रह रहे दलितों को आवास से वंचित बेखल किया जा रहा है। कर रहे है।

भाजपा ने अपने घोषणा–पत्र में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया है कि समाज मे समरसता पैदा की जायें। हम भी समरसता के पक्के समर्थक है परन्तु समरसता के साथ दलितों को समानता और गरिमा भी दी जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में अब केवल समरसता से काम नही चलेगा। अब ग्रामीण क्षेत्रो में भी घर–2 में डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल मंत्र ***"शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो "*** और इसके पीछे मूल भावना हजारों साल से दबे–कुचले, वंचित समुदाय के लोगो में अब गरिमा और सम्मान प्राप्त करने की भावना तेजी से पैदा हो गई है।रोज यह देखने में आता है ग्रामीण क्षेत्रो में दलितों पर अत्याचार की घटनाऐं बढ़ रही है। इसका मूल कारण यह है कि अब दलितों में गरिमा प्राप्त करने के लिए जागरूक व संघर्ष करने के लिए तैयार है।

Empowering Dalits'

(पी.एल.मीमरौठ)
मुख्य कार्यकारी
दलित अधिकार केन्द्र,
112, सूर्य नगर, गोपालपुरा बाईपास,
जयपुर
मो. 9351317611